प्रेस विज्ञप्ति
02.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत **राजिंदर कुमार गुप्ता, पूर्व-सीएमडी, डब्ल्यूएपीसीओएस लिमिटेड**, उनकी पत्नी श्रीमती रीमा सिंगल और उनके पुत्र गौरव सिंगल से संबंधित कुल 3.27 करोड़ रुपए कीमत की गुड़गाँव स्थित अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। गुड़गांव, हरियाणा में उक्त संपत्तियां राजिंदर कुमार गुप्ता के अवैध धन से अर्जित की गई थी जोकि वैध स्रोतों से उनकी आय से अधिक थी अतः ये संपत्तियां आपराधिक आय होने के साथ-साथ धन-शोधन के अपराध में लिप्त हैं।

ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार/असमानुपातिक संपत्तियों (डीए) से संबंधित अनुसूचित अपराध संबंधी प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर जांच शुरू की। एफआईआर में यह आरोप लगाया गया है कि राजिंदर कुमार गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों ने आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित की है। सीबीआई द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के फलस्वरूप 38 करोड़ रुपए की नकदी भी जब्त की गई थी।

ईडी की जांच से पता चला कि कुर्क की गई संपत्तियां राजिंदर गुप्ता और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बिना किसी लेखा/अस्पष्टीकृत नकदी का उपयोग करके अर्जित की गई थीं। विभिन्न व्यक्तियों के नाम पर डीडी बनवाए गए और भुगतान के रूप में फ्लैट विक्रेता को प्रदान किए गए। डीडी उपलब्ध करवाने वाले व्यक्तियों को नकद भुगतान किया गया। राजिंदर गुप्ता ने तर्क दिया कि डीडी प्रदान करने वाले व्यक्तियों ने निवेश के शेयर के रूप में उस राशि का योगदान दिया। हालाँकि, जब डीडी देने वाले व्यक्तियों को बुलाया गया और जांच की गई तो उनके द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि उन्हें पता नहीं था कि भुगतान क्यों किया गया था और उन्हें अचल संपत्तियों में कोई रुचि नहीं थी। ऐसे लोगों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने राजिंदर गुप्ता के करीबी सहयोगियों को उनके द्वारा अनुरोध किए जाने पर डीडी उपलब्ध कराए थे और इन व्यक्तियों को इसका भुगतान नकद किया गया था।

आगे की जांच जारी है।